कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

विविध वाद सं0 08 / 2016–17

श्री हरि मोदी, राजेन्द्र मोदी, बिरेन्द मोदी
तीनों के पिता–स्व0 उतीम मोदी,
वार्ड नं0 23, झु0 ति0,
जिला–कोडरमा।

20/6/16 आवेदक श्री हरि मोदी, राजेन्द्र मोदी, बिरेन्द्र मोदी तीनो के पिता–स्व0 उतीम मोदी, वार्ड नं0 23, झु0 ति0, जिला कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा गुमो, थाना नं0 12, खाता नं0 334, प्लॉट नं0 5836 / 6312, रकबा 2.42 एकड भूमि की जमाबन्दी पंजी II के पृष्ठ सं0 125 / 6 में हमारी मां स्व0 सकली देवी पति स्व0 उतीम मोदी के नाम से दर्ज है, जिसका केवाला सं0 9616 दिनांक 20.08.1966 है। वर्ष 1996 तक लगान रसीद कटा हुआ है। पंजी II फटा होने के कारण राजस्व कर्मचारी के द्वारा मालगुजारी रसीद निर्गत नही किया जा रहा है। उक्त जमीन का अद्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 05/7/16 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

05/7/16
06/8/16 अभिलेख उपस्थापित।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा गुमो, थाना नं0 12, खाता नं0 334, प्लॉट नं0 5836 / 6312, रकबा 2.42 एकड भूमि की जमाबन्दी से संबंधित पंजी II वर्षों पुराना होने के कारण फट चुका है। जिस कारण जमाबन्दी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आवेदक के द्वारा लगान रसीद 309142, 563503 दि0 18.01.90, 596129 दि0 06. 01.88, 390432 दि0 22.02.87, 849965 दि0 16.06.85, 439394 दि0 05.01.82, 237504 दि0 18.01.79 एवं 849117 दि0 9.05.78 की छायाप्रति संलग्न किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी पंजी II के पृष्ठ सं0 125 / 6 में जमाबन्दी दर्ज था। उक्त लगान रसीद को रसीद भन्डार पंजी से मिलान करने पर भन्डार पंजी में दर्ज पाया गया।

स्थल जांच के क्रम में श्री रामानन्द बर्णवाल पिता स्व0 महादेव मोदी, श्री प्रवीण कुमार पिता स्व0 नगीना साव, श्री जयप्रकाश मोदी पिता स्व0 पुना चन्द मोदी, सुजीत पाण्डेय पिता स्व0 बासुदेव पाण्डेय, श्री विश्वनाथ राम पिता स्व0 रामदेव राम एवं अन्य ग्रामिणों से पुछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन पर जमाबन्दीधारक का दखल कब्जा है। किसी के द्वारा आपति दर्ज नहीं कराया गया है। आवेदक द्वारा 2.225 ए0 भूमि का रसीद संलग्न किया गया है, जिसका लगान रसीद कटवाने हेतु आवेदन दिया गया है।

Scanned with CamScanner

उल्लेखनीय है कि फटे हुये पंजी II का नया जमाबन्दी खोलने हेतु अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 140/रा0 दिनांक 02.02.16 से दिशा निर्देश प्राप्त है।

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर अंचल अमीन के प्रतिवेदन के आलोक मे श्री हरि मोदी, राजेन्द्र मोदी, बिरेन्द्र मोदी पिता स्व0 उत्तीम मोदी का दावा स्पष्ट है। राजस्व अभिलेखो की त्रुटि के लिए रैय्त के हित को प्रभावित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नही होता है। राजस्व हित मे संबंधित भू–भाग से राजस्व की वसूली राज्य हित मे है। ऐसे मामले मे अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा जमाबन्दी कायम करने का आदेश प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक मे मौजा गुमो, थाना न0 12, खाता न0 334, प्लॉट न0 5836/6312, रकवा 2.225 एकड़ भूमि की जमाबन्दी आवेदकगण की मां स्व0 सकली देवी पति स्व0 उत्तीम मोदी, गुमो, वार्ड न0 23, झु0 ति0 के नाम से कायम करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व कर्मचारी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करे।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Scanned with CamScanner